संख्या-2/2024/001/ई-2753538 60 3 2024 सी 930147

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग.3 लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष के अन्तर्गत वृन्दावन मथुरा में कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के विद्धुत कुकिंग गैस तथा जल एवं सीवेज कर संबंधी व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2568/निदे0म0क0/अनुदान/कृ0कुटीर/2023-24 दिनांक 06.03.2024 के क्रम में वृन्दावन मथुरा में कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के विद्धुत कुकिंग गैस तथा जल एवं सीवेज कर संबंधी व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-27-वृन्दावन-मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 बेड क्षमता के ''कृष्ण कुटीर आश्रय सदन'' का संचालन के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-60.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय, तृतीय किश्त धनराशि रू0-30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

शर्तों/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्यम सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) संस्था की गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की उल्लिखित देयता का समायोजन इस धनराशि से नहीं किया जायेगा।

(8) निदेशक, महिला कल्याण स्वस्तोर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नेगत प्रकरण में वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सम्बन्ध में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021032700 वृन्दावन-मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 बेड

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्षमता के ''कृष्ण कुटीर आश्रय सदन'' का संचालन मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-327-X-2023-24, दिनांक-26 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

संख्या-2/2024/001-ई-2753538 60 3 2024 सी 930147 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।